राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकःपं.6(25)राज–6 / 14 /5 जयपुर,दिनांकः– 16/6/2014

—ःअधिसूचनाः—

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनधिकृत सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन) नियम, 1963 के नियम 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित समस्त किस्म की भूमियों (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) का आवंटन राजकीय विभागों को उक्त नियमों के नियम 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी द्वारा नियम–2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र का आवंटन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31–03–2015 तक किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टरर्स राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर/निदेशक राजस्थान राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
9. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
10. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक असाधारण अंक दिनांक 16/6/2014 प्रकाशनार्थ।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
13. रक्षित पत्रावली/गार्ड पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव